



R-103-1187

माननीय राजस्व मण्डल,  
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

कायस्थीय न्यायालय  
श्री. मार. न्यायालय  
4.6.57  
दिनांक  
159  
19-6-57  
प्रार्थी

जादीश पिता मग्गाजी पाटीदार, उम्र 33 साल,  
घंघा कृषि निवासी ग्राम दौद तहसील कुन्ती  
हालमुकाम मावर तहसील मावर जिला धार

----- प्राधी

विरुद्ध

- (1) गोकुल पिता रामाजी पाटीदार
- (2) रैवाराज पिता गोकुल पाटीदार
- (3) रतनबाई विष्वा गंगाजी कुलमी
- (4) देवदास पिता मंगाजी कुलमी
- (5) राधेश्याम पिता गंगाजी कुलमी
- (6) गोविन्द पिता गंगाजी कुलमी
- (7) मोहन पिता गंगाजी कुलमी
- (8) जमुनाबाई पिता गंगाजी कुलमी

समी निवासी ग्राम पीपरीमान, तहसील  
मावर जिला धार (मप्र०)

- (9) कावेरीबाई पित गंगाजी कुलमी, निवासी  
पीपरीमान, हालमुकाम ग्राम अजन्दा
- (10) रैवाबाई पिता गंगाजी कुलमी, निवासी  
ग्राम पीपरीमान हालमुकाम जलखेडा
- (11) मावजी पिता शिवाजी पाटीदार, नि०  
पीपरीमान तहसील मावर जिला धार

अर्जन - 2 पर

:::2::

- (१२) सुमनबाई पित्त गंगाजी जाति कुलमी,  
निवासी पीपरीमान हाल जोतपुर
- (१३) रुखडू पिता भावजी जाति पाटीदार
- (१४) ओमप्रकाश पिता खेमचन्द पाटीदार  
निवासीगण पीपरीमान, तह० कुलमी हाल
- (१५) खेमचन्द पिता नारायण पाटीदार,  
निवासी ग्राम पीपरीमान हालमुकाम  
इंदौर (म०प्र०)

Address of the party

----- विपक्षीगण

वाद: रास्ते बाक़द।

~~बिना~~ निगरानी धारा ५० म०प्र०मू०रा०स०के तहत।

महोदय,

श्री बी०बी०श्रीवास्त्व अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर  
द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक २६।८५-८६ में पारित आदेश दिनांक  
१२-५-८७ में असंतुष्ट तथा दुखीत होकर प्राची यह निगरानी आवेदन - पत्र  
निम्न आधारों पर निम्न सम्प्रावधि में सादर प्रस्तुत करता है :-

*Handwritten signature*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 103-दो/1987 [जग्दीश/गोकुल] जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-2016	<p>आवेदकपक्ष अनुपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत पेशी दिनांक 27-7-2010 से लगातार अनुपस्थित रहे हैं । प्रकरण में आवेदकपक्ष की उपस्थिति हेतु आज दिनांक तक पेशियाँ नियत होती रही हैं व आवेदकपक्ष की उपस्थिति के लिये नोटिस भी जारी किये गये, परन्तु आवेदकपक्ष प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं । इस न्यायालय में प्रकरण वर्ष 1987 से लंबित चला आ रहा है । अतः प्रकरण आवेदकपक्ष की अरुचि के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;">(मनोज गोयले) अध्यक्ष</p>	

And  
Jm